दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 20 सितंबर, 2023

<u>वैवा.आ.(परि.न्या.)102/2019 व सि.वि.आ.</u>

<u>15890/2019,15892/2019,9391/2021,48630/2023</u>

श्रीमती अनुराधा जैन ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अनिल शर्मा व श्री अर्पित शर्मा, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी के साथ अधिवक्तागण।

बनाम

डॉ. राजेश कुमार जैन ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u> (*मौखिक)*

1. ***हिंदू विवाह अधिनियम, 1955*** (*इसके बाद* "अधिनियम, 1955" के रूप में *संदर्भित*)***की धारा 28 के साथ पठित कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा***

19 के अंतर्गत वर्तमान अपील, अपीलार्थी-पत्नी द्वारा विद्वान परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जो इस अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) और 13 (1) (झब) के अंतर्गत "क्रूरता" और "अभित्यजन" के आधार पर विवाह-विच्छेद अनुदत करता है।

2. पक्षकारगण ने हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार दिनांक 07.02.1993 को विवाह किया। उनके विवाह से एक बेटा अनुराग उर्फ़ अनमोल का जन्म दिनांक 02.08.1994 को हुआ था। लगभग ढाई वर्ष तक एक साथ रहने के बाद पक्षकारगण दिनांक 02.07.1995 को अलग हो गए और तब से वे अलग रह रहे हैं।

3. प्रत्यर्थी-पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी-अपीलार्थी एक झगड़ालू, अशिष्ट और कलहप्रिय महिला थी और उसने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किया था। उसका अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसे वैवाहिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु केवल बैंक बैलेंस, कारों और सोने के आभूषणों आदि में उसकी रुचि थी। उसके और अपीलार्थी-पत्नी के बीच कोई मानसिक तालमेल नहीं था। प्रत्यर्थी-पति के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह घर के कामों में कोई रुचि लेने में विफल रही और जब भी प्रत्यर्थी ने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, तो उसने एक

दृश्यावली बनाई और उसे अपमानित किया, जबकि अपीलार्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता उसका अपमान कर रहे थे और उसे पारिवारिक मामलों में भाग नहीं लेने दिया गया था या रिश्तेदारों के साथ इतनी बातचीत नहीं करने दी गई, इसलिए उन्होंने उसे उसके दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। उसने दावा किया कि प्रत्यर्थी और उसके(प्रत्यर्थी के) पिता की अतिरिक्त दहेज की मांग पर दबाव डालने के लिए उसे(अपीलार्थी) और उसके माता-पिता(अपीलार्थी के) को गालियां देने की आदत थी।

4. अपीलार्थी ने दावा किया था कि बेटे का नाम जानबूझकर अनुराग रखा गया था और उसका उपनाम अनु था जो उसका(अपीलार्थी का) अपना उपनाम भी था। उसने दावा किया कि ऐसा केवल उसे अपमानित करने के लिए किया गया था।

5. प्रत्यर्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 03.03.1993 को वह अपीलार्थी के माता-पिता के घर उसे दांपत्य निवास में वापस लाने के लिए गया था, परंतु उसने इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उसके माता-पिता से अलग आवास की व्यवस्था की जाए। प्रत्यर्थी ने यह मानते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की कि उसके बूढ़े और सेवानिवृत्त माता-पिता को भगवान की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, परंतु अपीलार्थी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसके माता-पिता ने तब उसे यह कहकर मनाया कि वह होली के त्योहार पर

अपने माता-पिता के घर वापस आ सकती है जो दिनांक 07.03.1993 को पड़ रहा था। यह केवल उनके मतावलंबन पर है, जो वह दांपत्य निवास वापस लौट आई। यद्यपि, दिनांक 07.03.1993 को, वह होली मनाने के लिए अपने माता-पिता के घर वापस चली गई और वहाँ दो दिनों तक रही। दिनांक 09.03.1993 को, प्रत्यर्थी फिर से अपीलार्थी के माता-पिता के घर उसे दांपत्य निवास वापस लाने के लिए गया, परंतु उसने मना कर दिया और अपने माता-पिता के घर पर एक दृश्यावली बनाई और उसे अपमानित किया। **अपने घरेलू दायित्वों के निर्वहन में उसकी अरुचि के कारण,** प्रत्यर्थी के लिए आर्थोपेडिक्स(हड्डी का डॉक्टर) में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करना मुश्किल हो गया, जिसे वह सर गंगा राम अस्पताल से कर रहा था।

6. प्रत्यर्थी-पति ने आगे कहा कि उसके माता-पिता को अपीलार्थी के लिए पूरा भरोसा, विश्वास, प्यार और स्नेह था और उन्होंने उसे अपने लॉकर को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की चाबी दी। इसके अलावा, उन्होंने सद्भावपूर्वक उसे लॉकर में पड़े अपने मूल्यवान आभूषण, प्रतिभूतियां और दस्तावेज भी सौंपे, परंतु उसके द्वारा इनका दुरुपयोग किया गया।

7. उसने दिनांक 02.08.1993 को रक्षाबंधन के अवसर पर पारिवारिक समारोह में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। जनवरी, 1994 में, जब उसे गर्भावस्था के बारे में पता चला तो वे उदास हो गईं और उसने गर्भावस्था को समाप्त करने

का आशय व्यक्त किया जिससे प्रत्यर्थी-पति को मानसिक आघात लगा। उसने डॉ. रीता गुप्ता अर्थात् प्रत्यर्थी की बहन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से उसके गर्भपात के विषय में परामर्श किया, परंतु उसे सलाह दी गई कि यह अत्यधिक असुरक्षित होगा जिस पर उसने उसकी बहन की उपस्थिति में प्रत्यर्थी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह दावा किया गया कि अपीलार्थी बच्चे के जन्म से खुश नहीं थी और उसने उसकी(बच्चे की) देखभाल करने से इनकार कर दिया। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में अपने बेटे के *मुंडन* समारोह के समय एक दृश्यावली बनाई।

8. प्रत्यर्थी ने आगे प्राख्यान किया कि उसके(अपीलार्थी के) आचरण का उसके(प्रत्यर्थी के) करियर(वृत्ति) पर हानिकारक प्रभाव पड़ा क्योंकि उसने विवाह विच्छेद की मांग करना शुरू कर दिया था जिसके लिए वह बच्चे के कल्याण के कारण तैयार और इच्छुक नहीं था। दिनांक 02.07.1995 को, अपीलार्थी द्वारा झूठे आरोपों पर 100 नंबर से पुलिस को बुलाया गया था। उसने चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया और पुलिस मामला दर्ज किए बिना चली गई। यद्यपि, दिनांक 19.07.1995 को, उसने सीएडब्लू सेल, नानकपुरा के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दायर की, जिसके कारण प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके घर पर अवैध छापा मारा गया और वह और उसके परिवार के सदस्य दो दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रहे।

9. यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने दांपत्य अधिकारों से इनकार किया और उसको दिनांक 02.07.1995 को छोड़कर बिना किसी पर्याप्त कारण के उसे अभित्यक्त कर दिया। तदनुसार, विवाह विच्छेद याचिका को क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर अनुज्ञात किया गया है जो वर्तमान अपील में आक्षेपित है।

10. **अपीलार्थी-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद याचिका का प्रतिविरोध किया था** जिसमें उसने आरोप लगाया कि यह प्रत्यर्थी ही था जिसने दांपत्य निवास में रहने के दौरान उसके साथ क्रूरता की थी। उसने दावा किया कि जब वे अपनी हनीमून यात्रा पर मनाली में थे, तो प्रत्यर्थी ने प्रकटीकरण किया कि वह एक रोशनी नाम की मणिपुरी लड़की से प्यार करता था, जिससे वह विवाह करना चाहता था, परंतु उसके माता-पिता इससे सहमत नहीं थे। उसने दावा किया कि प्रत्यर्थी के माता-पिता और बहनों ने पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसका अपमान किया और दावा किया कि उनकी अपेक्षाओं और अधिकारों के साथ धोखा किया गया है। आगे यह आरोप लगाया गया कि उन सभी ने उस पर अपने माता-पिता से एक नई कार की व्यवस्था करने के लिए कहने का दबाव डाला और इनकार करने पर, उसे क्रूरता का शिकार होना पड़ा। प्रत्यर्थी ने यह भी धमकी दी कि एक डॉक्टर होने के नाते, वह मानव शरीर पर एक ऐसे स्थान को जानता था जहाँ एक छोटा सा छेद करने से व्यक्ति जीवन भर के

लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। उसने उसे यह भी धमकी दी कि एक जहर है जो एक व्यक्ति को मार सकता है और शव-परीक्षण(पोस्टमार्टम) में इसका पता नहीं चल सकता है। उसने उसके चेहरे पर तकिया लगाकर उसका दम घोंटने की भी कोशिश की। यद्यपि वह स्वयं को बचाने में समर्थ रही और जब वह मुक्त हुई, तो उसने दावा किया कि वह केवल मजाक कर रहा था। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता द्वारा उसके सभी आभूषणों, कीमती वस्तुओं आदि का दुरुपयोग किया गया था। उसने दावा किया कि बैंक खाते में उसका नाम जोड़ना, जो उसे प्रत्यर्थी के माता-पिता के नाम पर बैंक लॉकर चलाने की अनुमति देता है, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच एक साजिश थी। यह आगे प्राख्यान किया गया कि वास्तव में प्रत्यर्थी जो बच्चा पैदा करने में रुचि नहीं रखती थी और उसने बच्चे का गर्भपात कराने की कोशिश की। उसने उसे दर्द निवारक दवा देने की कोशिश की परंतु उसने मना कर दिया। दिनांक 20.12.1993 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपने स्कूटर से गिरा दिया जिससे अपीलार्थी की दाहिनी कोहनी अव्यवस्थित हो गई। उसका एक्स-रे उसके पेट को बचाए बिना इस आशा के साथ किया गया था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ उसे गर्भपात कराने की सलाह देगी। **दिनांक 02.07.1995 को**, उसने प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता से अनुरोध किया कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने माता-पिता के घर जाने की अनुमति दी जाए, किंतु प्रत्यर्थी ने उसे बेरहमी

से थप्पड़ मार दिया और लात-घूंसों से उसे पीटा गया और उसका सिर दरवाजे से टकरा गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने बाध्यकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं जिसने उसे दिनांक 02.07.1995 को दांपत्य निवास छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया कि उसकी मानहानि हेतु, प्रत्यर्थी ने झगड़ालू और लापरवाह महिला होने और चोरी के झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए उसके कार्यालय में एक विधिक सूचना भेजी थी। अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि उसने सीएडब्ल्यू सेल में झूठी शिकायत की थी।

11. **अभिवचनों पर मुद्दे** दिनांक 06.11.2000 के **परिवार न्यायालय के** आदेश **द्वारा बनाए गए थे** जो निम्नानुसार हैः

(i) क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है? *साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर है।*

(ii) क्या प्रत्यर्थी ने वर्तमान याचिका की प्रस्तुति से तुरंत पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि हेतु याचिकाकर्ता का अभित्यजन कर दिया है? *साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर है।*

(iii) राहत।

12. अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अंतर्गत एक आदेश जिसमें प्रत्यर्थी को बच्चे के भरणपोषण हेतु प्रति माह 3000 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, दिनांक 06.09.2004 को बनाया गया था। यद्यपि, अपीलार्थी को कोई भरणपोषण नहीं दिया गया चूंकि वह काम कर रही थी। अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अंतर्गत अंतरिम भरणपोषण के इस आदेश को इस न्यायालय द्वारा सि.वि.(मू.) 1549/2004 में दिनांक 24.11.2004 आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया था। इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत वि.अनु.या. को शीर्ष न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2006 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक पुनर्विलोकन याचिका को भी दिनांक 28.02.2006 को खारिज कर दिया गया था। यद्यपि, चूंकि प्रत्यर्थी ने भरणपोषण के आदेश का पालन न करने का फैसला किया, इसलिए याचिका को परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के दिनांक 28.02.2005 के आदेश के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसे वर्ष 2017 में अर्थात 12 वर्षों के बाद, पुनः प्रवर्तित किया गया, जब प्रत्यर्थी ने दिनांक 06.09.2004 के आदेश के अनुसार भरणपोषण का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया था।

13. **प्रत्यर्थी-पति प्रद.सा.-1** के रूप में उपस्थित हुए और उसके मामले के समर्थन में दो अन्य साक्षियों का परीक्षण किया गया। **अपीलार्थी-पत्नी प्र.सा.-1** के रूप में

उपस्थित हुई और बैंक लॉकर के संचालन के समर्थन में प्र.सा.-2 के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के साक्षी का भी परीक्षण किया गया।

14. **विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय** ने अवलोकन किया कि अपीलार्थी के झगड़ालू और कलहप्रिय होने, प्रत्यर्थी का करियर(वृत्ति) बर्बाद करने और दांपत्य संबंध से इनकार करने के आरोप अस्पष्ट थे, जिसमें तात्विक विवरणों का अभाव था और यदि स्वीकार भी किया जाता, तो यह पति-पत्नी की भिन्न-भिन्न धारणाओं के कारण एक विवाहित जीवन का सामान्य पतन था। यद्यपि, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने भा.दं.सं. की धारा 498क/406 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके अनुसार, न केवल प्रत्यर्थी अपितु उसके माता-पिता भी एक रात के लिए पुलिस अभिरक्षा में रहे और उन्हें अगले दिन जमानत दे दी गई। प्रत्यर्थी, उसके माता-पिता और विवाहित बहनों पर विचारण दो दशकों तक जारी रहा। उनमें से एक बहन जींद, हरियाणा में अपने दांपत्य निवास में रहने वाली एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दूसरी बहन एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट थी और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अपने दांपत्य निवास में रह रही थी। बहनें अपने दांपत्य निवास में बस गई थीं और उनके पास प्रत्यर्थी या उनके माता-पिता को दहेज का दावा करने के लिए उकसाने का कोई कारण नहीं था। भले ही प्रत्यर्थी की बहनें अपने माता-पिता के घर आ रही हों, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित बहनों के विरुद्ध उत्पीड़न और उकसाने के आरोप

असमर्थनीय थे। विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों ने अवलोकन किया कि प्रत्यर्थी के पिता वर्ष 1982 में मणिपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के आचार्य(प्रोफेसर) के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता के विरुद्ध दहेज की कथित मांग के कारण क्रूरता के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यों में कुछ भी उपलब्ध नहीं था।

15. विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों ने यह भी पाया कि लॉकर खाते में अपीलार्थी-पत्नी का नाम जोड़ना, अपीलार्थी में उनके विश्वास को दर्शाता है और प्रत्यर्थी-पति के माता-पिता द्वारा दांपत्य निवास में कोई उत्पीड़न प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। उसके इन आरोपों पर भी विश्वास नहीं किया गया कि उसे दांपत्य निवास से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी या उसके साथ बहिष्कृत के रूप में व्यवहार किया गया था क्योंकि वह काम कर रही थी और उसका कार्यस्थल आईटीओ में था। परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि अपने बेटे का नाम अनुराग रखने के पीछे प्रत्यर्थी या उसके माता-पिता का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी-पति के बच्चे को जन्म देने के इच्छुक न होने या उसके नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने के उसके आरोपों पर भी विश्वास नहीं किया गया था। इस प्रकार यह **अभिनिर्धारित किया गया** कि प्रत्यर्थी यह प्रमाणित करने में समर्थ था कि अपीलार्थी ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया और **अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) के अंतर्गत विवाह**

विच्छेद किया गया। विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने यह भी कहा कि अभिलेखित साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने याचिका दायर करने से दो वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी-पति का अभित्यजन कर दिया था और इस प्रकार, **अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(झब) के अंतर्गत अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद को अनुज्ञात किया गया।**

16. विवाह विच्छेद की डिक्री से व्यथित, अपीलार्थी-पत्नी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

17. **दोनों पक्षकारगण के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।**

18. गुणागुण पर आने से पहले, प्रमाण के भार की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है जो अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वैवाहिक याचिका में याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है। निस्संदेह, अपना मामला स्थापित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है, सामान्य तौर पर, भार उस पक्षकार पर होता है जो किसी तथ्य की पुष्टि करता है, न कि उस पक्षकार पर जो इसका प्रत्याख्यान करता है।

19. विचार के लिए अगला पहलू याचिका में लगाए गए आरोपों का पता लगाते समय लागू किया जाने वाला "प्रमाण का मानक" है। सिविल कार्यवाही में सामान्य नियम यह है कि तथ्य को "संभावनाओं की प्रबलता पर" स्थापित किया

जाना चाहिए। किसी तथ्य की स्थिति के संबंध में विरोधाभासी संभावनाओं का सामना करने वाला एक विवेकशील व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि तथ्य मौजूद है, यदि विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने पर वह पाता है कि प्रबलता विशेष तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में है। न्यायालय इस परीक्षण को यह तय करने के लिए लागू करता है कि क्या मुद्दे में एक तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है।

20. *डॉ. एन.जी.दस्ताने बनाम श्रीमती एस. दस्ताने* (1975) 2 एससीसी 326 के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने संक्षेप में समझाया कि संभावनाओं की प्रबलता स्थापित करने में, पहला कदम संभावनाओं को ठीक करना है, दूसरा उनका मूल्यांकन करना है, यद्यपि दोनों अक्सर आपस में मिल सकते हैं। *पहले चरण में असंभव को ख़त्म कर दिया जाता है, दूसरे चरण में असंभाव्य को।* संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला के भीतर, न्यायालय को अक्सर एक कठिन विकल्प चुनना पड़ता है, परंतु यह वह विकल्प है जो अंततः निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रबलता कहाँ है।

21. इस प्रकार, एक वैवाहिक संबंध में संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला के भीतर और परस्पर विरोधी दावों की पहेली में, कमी की चीज़ को अलग करना एक कठिन विकल्प है, परंतु यह विकल्प ही है जो अंततः निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रबलता कहाँ है। *दस्ताने* (पूर्वोक्त) में *गोलिंस बनाम गोलिंस*

(1963) 2 ऑल ईआर 966,970 में लॉर्ड रीड की टिप्पणियों का एक संदर्भ दिया गया था जिसमें यह अवलोकन किया गया कि,

> *"वैवाहिक मामलों में, हम उचित व्यक्ति के बारे में चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हम उपेक्षा के मामलों में हैं। हम इस पुरुष और इस महिला के साथ काम कर रहे हैं और हम उनके बारे में जितनी कम प्राथमिक धारणाएँ बनाते हैं, उतना ही बेहतर होता है। क्रूरता के मामलों में शायद ही कोई इस उपधारणा के साथ शुरुआत कर सकता है कि पक्षकारगण उचित व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर पति-पत्नी दोनों उचित व्यक्ति के रूप में सोचते हैं और व्यवहार करते हैं तो कभी भी किसी क्रूरता के मामले की कल्पना करना मुश्किल है।"*

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि वैवाहिक विवादों से निपटते समय न्यायालय का संबंध एक आदर्श पति या एक आदर्श पत्नी(*यह मानते हुए कि ऐसा कुछ भी अस्तित्व में है) से नहीं है परंतु उसके समक्ष आने वाले विशेष पुरुष और महिला से है।*

22. *<u>विनीता सक्सेना बनाम पंकज दीक्षित</u>* (2006) 3 एससीसी 778 के मामले में शीर्ष न्यायालय ने मार्गदर्शित किया है कि कोई कैसे आगे कार्यवाही कर सकता है। यह अवलोकन किया गया कि दोनों पक्षकारगण पर विचार करते समय, अपीलार्थी की ओर से उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न यह है कि *क्या*

अपीलार्थी को आचरण को सहन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए? प्रत्यर्थी की ओर से, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या यह आचरण क्षम्य था? न्यायालय को तब यह निर्णय करना होता है कि क्या कुल मिलाकर निंदनीय आचरण क्रूर था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आकलित आचरण यह कहने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर था कि एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी भी बहाने पर विचार करने के बाद, जो परिस्थितियों में प्रत्यर्थी के पास हो सकता है, आचरण ऐसा है कि याचिकाकर्ता को इसे सहन करने के लिए कहा जाना चाहिए।

23. अपीलार्थी/पत्नी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ काम करने वाली एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट है और उसने एक समान रूप से शिक्षित और अच्छी स्थिति वाले प्रत्यर्थी से विवाह किया, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर था और जिसने सितंबर, 1994 में सर गंगा राम अस्पताल से अपना डीएनबी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था और उसके बाद, उक्त अस्पताल से ही स्नातकोत्तर कर रहा था। पक्षकारगण ने दिनांक 07.02.1993 को विवाह किया और उन्हें समान रूप से उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में रखा गया, जो सम्मानित परिवारों से संबंधित थे। उनके लिए यह आशा और अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि वे अपने जीवनसाथी से मिल गए हैं और एक आनंदमय खुशहाल वैवाहिक

जीवन बिताएंगे, परंतु दुर्भाग्यवश, दोनों शिक्षित व्यक्तियों के विवाह से चीजें उतनी अपेक्षित नहीं थीं।

24. अपीलार्थी-पत्नी के अनुसार, जब वे मनाली की अपनी हनीमून यात्रा पर थे, तो प्रत्यर्थी ने प्रकटीकरण किया कि वह एक मणिपुरी लड़की से प्रेम करता था जिससे उसकी दुनिया ध्वस्त हो गई। अपने अतीत के विषय में प्रकटीकरण करने में प्रत्यर्थी-पति की ईमानदारी को एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन नहीं कहा जा सकता है जिसने अपीलार्थी को परेशान किया हो। इसे विश्वास विकसित करने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के कार्य के रूप में देखने के बजाय, अपीलार्थी ने इस प्रकार व्यक्त करने की कोशिश की जैसे कि प्रत्यर्थी एक व्यभिचारी संबंध में था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी की ओर से क्रूरता का कोई कार्य केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने अपने अतीत के विषय में प्रकट करने में ईमानदार होना चुना है।

25. प्रत्यर्थी-पति द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप थे कि अपीलार्थी-पत्नी एक झगड़ालू, अशिष्ट और कलहप्रिय महिला थी जो पति के रिश्तेदारों के साथ नहीं मिलती थी और उन्हें उचित सम्मान नहीं देती थी और घरेलू कार्यों से दूर रहती थी। इसके अलावा, उसने अपने घरेलू दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्ण रूप से उदासीनता दिखाई, जिससे उसके लिए स्नातकोत्तर को पूर्ण करना मुश्किल हो गया।

26. दूसरी ओर अपीलार्थी-पत्नी ने दावा किया कि वह प्रत्यर्थी को असुविधाजनक समय पर भोजन परोसती थी क्योंकि वह स्नातकोत्तर डिप्लोमा करते समय अलग-अलग पालियों में काम कर रहा था।

27. किसी भी वैवाहिक संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि पति और पत्नी दोनों, विशेष रूप से जब वे शिक्षित होते हैं, प्रारंभिक वर्षों में एक-दूसरे का अधिक समर्थन करें, जब वे अपने-अपने करियर(वृत्ति) में स्थापित होने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे होते हैं। अपीलार्थी के पूर्णकालिक रोजगार में होने के कारण पति को उससे घर के छोटे-छोटे काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार, जब अपने नियमित दायित्वों के निर्वहन की बात आती है तो अपीलार्थी-पत्नी अपने पति से अतिरंजित अपेक्षाएं नहीं रख सकती। शिक्षित होने के कारण और केवल घर तक ही सीमित न होने के कारण, पक्षकारगण स्पष्ट रूप से अपने करियर(वृत्त)/नौकरी में अंतर्ग्रस्त थे और उन्हें अपनी नौकरी की आवश्यकताओं के भीतर अपने वैवाहिक दायित्वों को समायोजित करना पड़ता था। प्रत्यर्थी-पति का यह दावा कि अपीलार्थी घर के कामों का निर्वहन करने में विफल रही, उतना ही गलत था जितना कि अपीलार्थी का दावा कि प्रत्यर्थी के परिवार द्वारा उसे दिन-प्रतिदिन परेशान किया जा रहा था।

28. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवाह के तुरंत बाद, अपीलार्थी के सास-ससुर ने बैंक लॉकर खाते में उसका नाम जोड़ा, जिससे वह

प्रत्यर्थी के माता-पिता के नाम पर उक्त लॉकर का संचालन कर सके। जिन सास-ससुर को अपनी बहू के प्रति कोई संदेह या दुश्मनी हो, वे ऐसा नहीं करेंगे और वह भी शादी के तुरंत बाद। यह आचरण केवल उस विश्वास और सम्मान को दर्शाता है जो अपीलार्थी के सास-ससुर ने अपनी बहू में व्यक्त किया था और यह उसे परिवार का हिस्सा बनाने की उनकी इच्छा को भी दर्शाता है। अपीलार्थी का यह अभिवचन कि यह प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता के बीच एक षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था, आत्यन्तिक रूप से बोधगम्य नहीं है। यदि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के माता-पिता के बैंक लॉकर खाते तक अभिगम की अनुमति दी गई होती, तो संभवतः क्या षड्यंत्र हो सकता था, इसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। जबकि, यह प्रत्यर्थी के परिवार की अपीलार्थी को अपने परिवार के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने की मंशा को दर्शाता है।

29. प्रत्यर्थी ने अपने परिसाक्ष्य में प्राख्यान देकर कहा था कि अपीलार्थी बच्चा पैदा करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसने उसकी बहन से भी परामर्श किया था जो गर्भपात कराने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने दावा किया कि यह प्रत्यर्थी-पति था जिसे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने दर्द निवारक के नाम पर दवा देकर बच्चे का गर्भपात कराने की कोशिश की, परंतु उसने इनकार कर दिया।

30. दिलचस्प बात यह है कि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 20.12.1993 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपने स्कूटर से गिरा दिया जिससे अपीलार्थी की दाहिनी कोहनी अव्यवस्थित हो गई। उसका एक्स-रे उसके पेट की रक्षा किए बिना इस आशा से किया गया था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ उसे गर्भपात कराने की सलाह देगी। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद बच्चे का जन्म दिनांक 02.08.1994 को हुआ था। अभिलेख पर यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी को उस समय उसकी गर्भावस्था के बारे में ज्ञात भी था। यह दावा करना कि उसका एक्स-रे उसे अनावृत करने के लिए किया गया था, पूर्ण रूप से एक बेतुका दावा है, विशेष रूप से, क्योंकि एक्स-रे दाहिनी कोहनी का किया जाना था न कि पेट का। इसके अलावा, यदि अपीलार्थी को उसकी गर्भावस्था के बारे में ज्ञात था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे डॉक्टर को इस तथ्य को प्रकट करने और यह सुनिश्चित करने से रोक सके कि उसके पेट को ढकने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। अपीलार्थी एक शिक्षित महिला है और उसके लिए प्रत्यर्थी पर दोष मढ़ना न केवल लापरवाही का कार्य है, अपितु केवल प्रत्यर्थी के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने का प्रयास है।

31. एक अन्य घटना जिसके इर्द-गिर्द दोनों पक्षकारगण ने क्रूरता का आरोप लगाने की कोशिश की थी, वह है बच्चे का *मुंडन* समारोह। अपीलार्थी ने स्पष्ट किया था कि *मुंडन* दिनांक 07.10.1994 को नहीं किया जा सका था क्योंकि

बच्चा मुश्किल से 2 महीने और 5 दिन का था और बच्चे की खोपड़ी की त्वचा *मुंडन* करने के लिए बहुत नरम थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि *मुंडन* समारोह दिनांक 09.04.1995 को किया गया था। उसने दावा किया कि *मुंडन* कराते समय, प्रत्यर्थी ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि वह स्नानघर में थी। प्रत्यर्थी का प्रकथन यह भी है कि वह आधे घंटे से अधिक समय तक स्नानघर में रही और *मुंडन* समारोह में भाग लेने के लिए बाहर तक नहीं आई। यदि अपीलार्थी को ज्ञात होता कि *मुंडन* समारोह किया जा रहा है, तो वह *मुंडन* समारोह के संपादन हेतु अनुरोध कर सकती थी या समय पर आ सकती थी। यह अवलोकन किया जा सकता है कि *मुंडन* समारोह दो या पांच मिनट में पूरा नहीं होता है। इसमें उचित समय लगता है और स्वयं अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति से पता चलता है कि वह घर में उपस्थित होने के बावजूद *मुंडन* समारोह में शामिल नहीं हुई थी। वह अपने स्वयं के प्रविरति के कार्यों का श्रेय प्रत्यर्थी को नहीं दे सकती है।

32. प्रत्यर्थी द्वारा की गई क्रूरता के रूप में दावा की गई एक और दिलचस्प घटना यह है कि उसका नाम अनुराधा है और उसे बचपन से ही प्यार से *"अनु"* के रूप में संबोधित किया जाता है। इसके बावजूद, उसके सास-ससुर ने कथित तौर पर बच्चे का नाम अनुराग रखा और उपनाम *"अनु"* रखा, जो जानबूझकर उसके और बच्चे के नाम के बीच भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। पुनः,

क्रूरता का इससे अधिक तुच्छ दावा नहीं हो सकता है जो अपीलार्थी द्वारा किया जा सकता था, क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि बच्चे का नाम अनुराग उपनाम *"अनु"* रखना क्रूरता का कार्य कैसे हो सकता था। यह ध्यान देना उचित होगा कि बच्चा दिनांक 02.08.1994 को पैदा हुआ था और पक्षकारगण दिनांक 02.07.1995 को अलग हो गए थे, अर्थात् जब बच्चा 11 महीने का भी नहीं था। यह दावा करना कि इन 11 महीनों में बच्चे के नाम के कारण उसके परिवार में पर्याप्त भ्रम था, स्वीकार करने के लिए बहुत कल्पनाशील है।

33. विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों ने इन घटनाओं का उल्लेख किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि वे परिवार में सामान्य टूट-फूट के समान हैं और जैसा कि अपीलार्थी-पत्नी द्वारा आरोप लगाया गया है, इन्हें क्रूरता नहीं कहा जा सकता है।

34. यद्यपि इन घटनाओं को लगभग डेढ़ साल के वैवाहिक जीवन का सामान्य पतन कहा गया है, लेकिन जब नियमित रूप से ऐसा होता है और उनके आपसी संबंधों में व्यवधान पैदा होता है और उनके संबंधों में किसी भी पारस्परिक विश्वास, वैवाहिकता या सौहार्द के निर्माण को भी रोका जाता है तो उन्हें उपेक्षित और अनदेखा नहीं किया जा सकता है। *विनीता सक्सेना (पूर्वोक्त)* के मामले में इस पहलू का उचित वर्णन किया गया था कि यदि ताने, शिकायतें और निंदाएं केवल सामान्य प्रकृति की हैं, तो न्यायालय को शायद इस प्रश्न पर विचार करने

की आवश्यकता है कि क्या एक अवधि तक उनके बने रहने या दृढ़ता से, अन्यथा, सामान्य रूप से इतना गंभीर कार्य नहीं होगा जो इतना हानिकारक और दर्दनाक हो कि पति या पत्नी को उनके साथ बदल दिया जाए ताकि वास्तव में और उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दांपत्य निवास का भरणपोषण अब संभव नहीं है। *ए.जयचंद्रा बनाम अनील कौर* (2005) 2 एससीसी 22 के मामले में इसी प्रकार के अवलोकन किए गए हैं।

35. इस प्रकार की दिन-प्रतिदिन की घटनाएं पति या पत्नी के दिमाग में बहुत कुछ जोड़ती हैं और अंततः ऐसी स्थिति की ओर ले जाती हैं जहाँ से कोई वापसी नहीं होती है। यह दिनांक 02.07.1995 को हुआ जब अपीलार्थी ने दांपत्य निवास छोड़ दिया। अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे थप्पड़ मारा गया और लात-घूंसे मारे गए और उसका सिर को दरवाजे से टकरा गया क्योंकि वह अपने माता-पिता के घर जाना चाहती थी। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-पति ने दावा किया था कि उसने झूठे आरोप लगाए थे और 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया था। यद्यपि, उसने किसी भी चिकित्सा जांच से गुजरने से इनकार कर दिया और बिना कोई मामला दर्ज किए चली गई।

36. दोनों पक्षकारगण द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हुई थी और यहां तक कि पुलिस को भी बुलाया गया था और अपीलार्थी दांपत्य निवास से चली गई था। उसका यह प्राख्यान कि उसे इस हद तक बुरी

तरह पीटा गया था कि उसका सिर दरवाजे पर लग गया था, किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है। यह प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य के विरुद्ध अपीलार्थी का परिसाक्ष्य है। यद्यपि यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि दोष किसका था, परंतु यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 02.07.1995 को थोड़ी लड़ाई हुई और अपीलार्थी दांपत्य निवास से चली गई। यह अपीलार्थी हेतु था कि उसने दिनांक 02.07.1995 को हुई स्थिति की गंभीरता को समझाया जो इतनी असहनीय थी कि वह अपना दांपत्य निवास छोड़ने के लिए विवश हो गई थी।

37. दीपक मेमोरियल अस्पताल के दिनांक 04.07.1995 डिस्चार्ज(अस्पताल से छुट्टी) सारांश का उल्लेख करना उचित है, जहाँ उसने दांपत्य निवास छोड़ने के बाद स्वयं को भर्ती कराया था। उसे 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया था। डिस्चार्ज(अस्पताल से छुट्टी) सारांश में कहा गया है कि अपीलार्थी को *लगभग 12 दिनों तक भूख न लगना, मतली, उल्टी, हल्का अवसाद आदि के इतिहास के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस प्रकार, संभावित हेपेटाइटिस के लिए जांच की गई।* अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई थी। चिकित्सा दस्तावेज स्वयं दर्शाते हैं कि कथित हमले में कोई हमला नहीं किया गया था या चोट नहीं लगी थी, किंतु उल्टी, मतली आदि के इतिहास के साथ एक दिन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया था। इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि वह दिनांक 02.07.1995

को ही अस्पताल नहीं गई थी, अपितु वह दिनांक 03.07.1995 को वहां गई थी। इस प्रकार, उसके अपने चिकित्सा दस्तावेज प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पीटे जाने के उसके दावे को अस्वीकार करते हैं।

38. दिनांक 02.07.1995 को दांपत्य निवास से निकलने के तुरंत बाद, अपीलार्थी ने दिनांक 19.07.1995 को सीएडब्लू सेल के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 498क/406 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उसकी दो विवाहित बहनें भी शामिल थीं। प्रत्यर्थी-पति और उनके परिवार के सदस्य दो दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में भी रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।

39. अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि उसके विवाह के समय, प्रत्यर्थी की दोनों बहनें पहले से ही शादीशुदा थीं और एक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में और दूसरी जींद, हरियाणा में रह रही थी। प्रत्यर्थी की बड़ी बहन व्यवसाय से डॉक्टर यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और छोटी बहन एक चार्टर्ड एकाउंटेंट थी। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, दहेज उत्पीड़न के आरोप न केवल प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता के विरुद्ध अपितु प्रत्यर्थी की दोनों बहनों के विरुद्ध भी लगाए गए थे, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों से विचारण का सामना किया था। अपीलार्थी ने दोनों विवाहित बहनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के अपने

आरोपों को यह दावा करके सही ठहराने का प्रयास किया था कि प्रत्यर्थी की बहन डॉ. रीता गुप्ता अक्सर उनके घर आती थी, जबकि दूसरी बहन उस समय उनके घर में ही रह रही थी क्योंकि वह गर्भवती थी। ऐसा कुछ भी यथार्थपूर्ण नहीं है जो अपीलार्थी द्वारा दोनों बहनों के विरुद्ध यह दर्शाने हेतु अभिलिखित किया गया हो कि वे किसी भी प्रकार से दहेज उत्पीड़न के कृत्यों में पक्षकार थीं। जबकि, प्रत्यर्थी की बहन डॉ. रीता गुप्ता से उसकी गर्भावस्था के दौरान अपीलार्थी द्वारा परामर्श किया गया था। अपीलार्थी के परिसाक्ष्य में यह दर्शाने हेतु ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि उसे दो विवाहित बहनों द्वारा दहेज के कारण उत्पीड़ित किया जा रहा था। उन्हें आपराधिक मामले में फंसाना केवल भाई (प्रत्यर्थी) के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य कहा जा सकता है जो लगभग 20 वर्षों तक विचारण का सामना करने के लिए उनके उत्पीड़न का कारण बना।

40. अपीलार्थी ने अभिसाक्ष्य दिया था कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसका उपहास किया और खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उस पर अपने पिता से एक मारुति कार, एक वीसीआर और 50,000/- रुपए नकद की व्यवस्था करने के लिए कहने का दबाव डाला और जब उस ने इनकार कर दिया, तो उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा। यद्यपि ये आरोप अपीलार्थी द्वारा लगाए गए हैं, किंतु वह विस्तार से यह बताने में विफल रही है

कि ये मांगें कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थीं, जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आरोप न केवल प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता के विरुद्ध अपितु प्रत्यर्थी की दो विवाहित बहनों के विरुद्ध भी लगाए गए हैं।

41. यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के अधीन किया गया है, तो उस व्यक्ति को राज्य तंत्र का सहारा लेकर उपचार लेने का आत्यन्तिक अधिकार है। यदि वास्तव में, अपीलार्थी को क्रूरता का सामना करना पड़ा था, तो उसे पुलिस से संपर्क करने का पूरा अधिकार था। यद्यपि, उसे अपर्याप्त दहेज के कारण परेशान किए जाने और क्रूरता के शिकार होने के ठोस साक्ष्य से यह स्थापित करना था। परंतु, दुर्भाग्यवश, उसके साक्ष्य उतने ही अस्पष्ट है जितने हो सकते हैं। व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसे दहेज की मांग हेतु उत्पीड़ित किया जा रहा था। इन तथ्यों और आरोपों को आपराधिक विचारण में भी न्यायनिर्णीत किया गया है जहां प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों को दिनांक 21.04.2022 के निर्णय के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया है।

42. यद्यपि आपराधिक शिकायत दायर करने को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है, साथ ही आपराधिक मामले (मामलों) में क्रूरता के आरोपों को विवाह विच्छेद की कार्यवाही में सिद्ध किया जाना चाहिए था।

43. *के श्रीनिवास बनाम के सुनीता एक्स* (2014) एसएलटी 126, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध झूठी शिकायत दायर करना अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) के प्रयोजन हेतु मानसिक क्रूरता है।

44. इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा *मंगयाकारसी बनाम एम युवराज* (2020) 3 एससीसी 786 मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात में संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक उपयुक्त मामले में, दहेज की मांग या ऐसे अन्य आरोपों के निराधार आरोप के कारण पति और उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। अंततः, यदि यह पाया जाता है कि ऐसे आरोप अनुचित और आधारहीन थे और यदि पत्नी का वह कार्य ही पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने का आधार बनता है, तो निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थिति में, यदि इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर की जाती है और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने के लिए मूल न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो उस आधार पर विवाह को भंग करने के उद्देश्य से इसकी अच्छी तरह से सराहना की जा सकती है।

45. इसके अलावा, *रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी* (2010) 4 एससीसी 476 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि "पति और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लापरवाह, झूठे और मानहानिकारक आरोपों से समाज की

नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है" और यह 'क्रूरता' के समान है। इसी प्रकार की टिप्पणियाँ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा *रीता बनाम जय सोलंकी* (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 9078 और *निशि बनाम जगदीश राम* 233 (2016) डीएलटी 50 के मामले में की गई थीं।

46. अपीलार्थी-पत्नी उन आधारों को उचित नहीं ठहरा पाई है जिनके आधार पर शिकायत की गई थी जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई। जैसा कि ऊपर वर्णित निर्णयों में चर्चा की गई है, विभिन्न अभिकरणों को अस्पष्टीकृत आरोपों के साथ शिकायत को क्रूरता के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

47. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दोनों पक्षकारगण 1995 से अर्थात् लगभग 28 वर्षों की अवधि से एक साथ नहीं रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में पहले ही बार-बार यह उल्लेख किया जा चुका है कि पक्षकारगण के मध्य लंबे समय तक निरंतर अलगाव ही विवाह विच्छेद का आधार है। *नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली* (2006) 4 एससीसी 558 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब पक्षकारगण अलग हो जाते हैं और यह अलगाव पर्याप्त समय तक जारी रहता है और उनमें से एक ने विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की है, तो यह अच्छी तरह से परिकल्पित किया जा सकता है कि विवाह भंग हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को पक्षकारगण के मध्य मेल-मिलाप कराने का गंभीरता से प्रयास करना चाहिए;

फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि विवाह भंग होना अपूरणीय है, तो विवाह विच्छेद को नहीं रोका जाना चाहिए। अव्यवहारिक विवाह को विधि में बनाए रखने के परिणाम, जो लंबे समय से प्रभावी नहीं रह गए हैं, पक्षकारगण हेतु अधिक दुख का स्रोत बनने के लिए अवश्यंभावी हैं।

48. *समर घोष बनाम जया घोष* (2007) 4 एससीसी 511 में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> *"मार्गदर्शन हेतु कभी भी एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी मानव व्यवहार के कुछ उदाहरणों का प्रगणन उचित समझा गया जो 'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। जब निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, तो यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। विवाह एक काल्पनिक बात बन जाती है, यद्यपि यह एक विधिक बंधन द्वारा समर्थित है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से ऐसे मामलों में विधि विवाह की पवित्रता की सहायता नहीं करती; या* ***इसके विपरीत, यह पक्षकारगण की संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति कम सम्मान दर्शाता है, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।***
>
> *जब एक पुरुष और एक महिला विवाह करते हैं, तो वे प्रेम, खुशी; मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि; प्रगति; और वंश-वृद्धि के इरादे से ऐसा करते हैं। पक्षकारगण का सपना*

है कि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का संयुक्त रूप से सामना करें और आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि रूप से आगे बढ़ें और प्रगति करें। जब विवाह में खटास आती है, तो विवाह के समय जोड़े द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञाएँ एक दुर्घटना होती हैं। हम यह मानते हैं कि कोई भी पक्षकार वैवाहिक बंधन में प्रवेश नहीं करता है, केवल बाद में इसे तोड़ने के लिए। उक्त बंधन के भंग हेतु कुछ अंतर्निहित कारण होना अवश्यंभावी है। कुछ मामलों में, वे कारण सामने आ सकते हैं और न्यायालय उन्हें देख सकता है। अन्य में, वे असंख्य कारणों से अप्रकट रह सकते हैं। ***वे कारण, निश्चित रूप से, दोनों पक्षकारगण हेतु आरोपी होंगे, क्योंकि लड़ने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब लड़ाई इस हद तक जाती है कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध मामले दायर करते हैं, तो दोनों के लिए स्थिति अप्रिय और द्वेषपूर्ण हो जाती है।*** *जब तक स्थिति को जल्दी समाप्त नहीं किया जाता है और पक्षकारगण समय के साथ सुलह करने और संघर्ष विराम का समाधान करने का निर्णय नहीं करते हैं, तब तक उनके बीच केवल खालीपन बढ़ता है, और उनके रिश्ते में प्रेम और सौहार्द की भावना क्षीण होनी शुरू हो जाती है।* ***जो शेष रहता है वह केवल दूसरे के लिए चोट, घृणा, अनादर, उपेक्षा और द्वेष की भावना है। ये नकारात्मक भावनाएँ और विचार मानसिक आघात, उत्पीड़न को जन्म देते हैं और दोनों पक्षकारगण के लिए नहीं तो एक के लिए अत्यधिक क्रूरता का कारण बनते हैं।***

ऐसी स्थितियों में, ***परस्पर-विरोधी पति-पत्नी के मध्य संबंधों का यह सिलिसिला पक्षकारगण हेतु अत्यधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है, जो अपने आप में, दोनों पक्षकारगण द्वारा क्रूरता के समान होगा।"***

49. उपरोक्त चर्चा और स्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में; पक्षकारगण अब 28 वर्षों से अलग रह रहे हैं; पक्षकारगण के मध्य मेल-मिलाप की कोई संभावना नहीं है और झूठे आरोपों के साथ इतना लंबा अलगाव, पुलिस आख्या(रिपोर्ट) और आपराधिक विचारण मानसिक क्रूरता का स्रोत बन गया है और इस संबंध को जारी रखने का कोई भी आग्रह केवल दोनों पक्षकारगण पर और क्रूरता को बढ़ावा देगा। पक्षकारगण के मध्य वैवाहिक मतभेद चरम पर पहुँच गया है जहाँ पक्षकारगण के मध्य निष्ठा, विश्वास, समझ और प्रेम का पूर्ण नुकसान होता है। पक्षकारगण से एक-दूसरे के साथ रहने की उचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के पत्नी/अपीलार्थी को वापस ले जाना, जिससे वह 28 वर्षों के लिए सह-निवास और वैवाहिक अधिकारों से वंचित हो गया, जिसके बाद झूठी शिकायत और 20 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाला आपराधिक विचारण, यह सब प्रमाणित करते हैं कि प्रत्यर्थी को क्रूरता का शिकार बनाया गया है, जिससे वह विवाह विच्छेद का हकदार बन गया है।

50. **इसलिए, हम पाते हैं कि परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे** हैं कि प्रत्यर्थी-पति के साथ क्रूरता की गई है, जिससे वह इस आधार पर विवाह विच्छेद का हकदार बन गया है।

51. **अभित्यजन के पहलू पर आते हुए,** अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 02.07.1995 को दांपत्य निवास छोड़ दिया था। उसने दावा किया था कि उस दिन उसे पीटा गया था। बिना किसी विकल्प के, उसने दावा किया कि उसे अपना दांपत्य निवास छोड़ना पड़ा। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई थी, वह यह प्रमाणित करने में समर्थ नहीं थी कि उसके लिए दांपत्य निवास छोड़ने के लिए विवश करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई थीं। उसका अपना चिकित्सा (अस्पताल से छुट्टी का) सारांश उसके दावे को झूठा साबित करता है। अपीलार्थी दांपत्य निवास छोड़ने के कारणों की व्याख्या करने में असमर्थ रही है। विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को अभित्यक्त करने के आशय से दांपत्य निवास छोड़ दिया, और इस प्रकार, अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की हकदार हुई।

52. तदनुसार, हम अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) और 13 (1) (झब) के अंतर्गत "क्रूरता" और "अभित्यजन" के आधार पर विवाह विच्छेद अनुदत करने वाले विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत

हैं। परिणामस्वरुप, हम अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं, जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

53. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायमूर्ति

20 सितंबर, 2023
आकब

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*